

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरुण कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ कर्मचारी
 3. वर्तमान वेतन 10,182 अगली वेतनवृद्धि का तारीख 24 अक्टूबर 10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमे					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बराहसिंधुपुरी जिला धार बीहरे	कमरा 40x60	-	1,20,000	अरुण कुमार शर्मा का नाम पर	खरीद के माध्यम से तारीख 20/11/09 श्री 1 पट्टा (300) गंध	-	-
	गृहभवन 60x44	8 बीघा		2 बीघा का भू-पट्टा	1995 में खरीद	-	-

* - जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने को अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर ... अरुण कुमार शर्मा
 नाम अरुण कुमार शर्मा
 पद अधीनस्थ कर्मचारी